

भूमरिकॉर्ड में अनयिमतिता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश भू-संपदा वनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है, क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे या दोनों अपलोड करने में वफिल रहे।

- इनमें से कई परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित हैं।

प्रमुख बट्टि:

- **कार्रवाई का कारण:** वर्ष 2018 से लगातार नोटिस देने के बावजूद कई प्रमोटरों (प्रवर्तकों) ने इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया।
- **उद्देश्य:** इस नरिणय का उद्देश्य आवंटियों को नविश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सुनिश्चित करके संभावित धोखाधड़ी से बचना है।
- **वर्तमान अनुपालन:** 400 परियोजनाओं में से केवल 57 ने आवश्यक स्पष्टीकरण या दस्तावेज प्रदान किये हैं।
- **भविष्य के कदम:** प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज शीघ्र अपलोड करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

भू-संपदा (वनियमन और वकिस) अधनियम, 2016

भू-संपदा (वनियमन और वकिस) अधनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधनियम है, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ भू-संपदा उद्योग में नविश को बढ़ावा देना है।

- यह अधनियम 1 मई 2016 से लागू हुआ।
- **उद्देश्य:**
 - भू-संपदा क्षेत्र के वनियमन एवं संवर्द्धन के लिये भू-संपदा वनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
 - परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
 - भू-संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना और विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय नरिणय व्यवस्था स्थापित करना।
 - बिल्डर के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
 - भू-संपदा क्षेत्र को कैसे विकसित और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार को परामर्श देना।